उपस्थित साक्ष्य वादी अवसर चाहते हैं न्यायालय के अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 7-1-20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बुन्दी, राज.

7-1-20 पत्रावली पेश हुई वकील पैरोकार-मौजूद उपस्थित साक्ष्य वादी अवसर चाहते हैं वादी को दिनांक 7-10-13 से न्यायालय के समुचित अवसर दिये गये हैं फिर न्यायालय के वादी के निवेदन पर अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 9-01-20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बुन्दी (राज.)

9-1-20 पत्रावली पेश हुई वकील पैरोकार-मौजूद उपस्थित साक्ष्य वादी आज भी पेश नहीं किया गया। पत्रावली आदेश के लिए जाकर अवलोकन किया गया। वादी द्वारा यह वाद दिनांक 4-10-12 को विरुद्ध अपीलार्थी गण पेश किया गया। वादी को अलाउत वादी पेश करने हेतु वर्ष 2013 से 11 अवसर न्यायालय के दिये गये हैं। परन्तु वादी द्वारा अलाउत वादी पेश नहीं करना जाहिर है इस प्रकार न्यायालय के आदेश दिनांक 2-7-13 की पालना नहीं करने पर वाद वादी की स्तर पर अ० आदेश 9 नियम 5 CPC के प्रावधानों के तहत अंतिम तामील के पश्चात किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर निकाय से एक वाद तामील डायरी दाखल हो।

उपखण्ड अधिकारी
बुन्दी (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Yadav
Date: 2020.01.09 17:31:15 IST
Reason: SelfAttested